दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–32019/1/2015–डीरीओ(छ.ग.)/H/2642 दिनांक– 29/12/2014

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय को भवन की सुरक्षा गार्ड, भृत्य एवं सफाई कर्मी हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों की आवश्यकता है:–

क्रमांक	कर्मी का पदनाम	पदों की संख्या	वांछित योग्यता	कार्य अवधि
1	चौकीदार/सुरक्षा गार्ड	03	प्रायमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	तीन पारियों में (प्रति पारी 8 घण्टे)
2	भृत्य	02	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण	8 घण्टे
3	सफाई कर्मी	02		8 घण्टे

उक्त हेतु यह निदेशालय सीलबंद निविदाएं द्वि बोली प्रणाली (Two Bid System) में (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित करती है। इच्छुक फर्मो द्वारा अपनी तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं वित्तीय बोली (Financial Bid) को अलग–अलग लिफाफो जिन पर स्पष्ट अक्षरो में निविदा सूचना और निर्धारित तारीख लिखकर एक बड़े लिफाफे में रखकर दिनांक 09/01/2015 तक दोपहर 3.00 बजे तक भेजा जा सकता है।

तकनीकी बोली (Technical Bid) में दिये गये शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् ही वित्तीय बोली की निविदा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

इच्छुक फर्म डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में सीधे तौर पर निविदाये जमा कर सकते है।

कृ.पृ.उ.

1. **तकनीकी बोली (Technical Bid)**

निम्नांकित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है:–

(क) निविदा प्रदाय करने वाले एजेंसी का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत LEO से प्राप्त न्यूनतम मजदूरी प्रमाण–पत्र लेबर लाईसेंस सहित ।

(ग) PAN नम्बर।

(घ) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र ।

(च) ESIC एवं EPF रजिस्ट्रेशन/प्रमाण–पत्र ।

(छ) प्रायवेट सेक्युरीटी एजेंसी एक्ट के तहत एजेंसी को पंजीकृत होना चाहिये इस आशय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।(यदि छ.ग. में लागू हो तो)

(ज) निविदाकर्त्ता फर्म का विगत 3 वर्षो का वार्षिक Turn Over कम से कम राशि रू. 20 लाख वार्षिक होना आवश्यक है, इस हेतु चार्टर एकांउटेड द्वारा आडिट की हुई Audited Balance Sheet की छायाप्रतियां लगाना आवश्यक है।

(झ) निविदाकर्त्ता फर्म विगत 3 वर्षो के दौरान अन्य कार्यालयो/संस्थानों में दी गई सेवा संबंधी दस्तावेज।

(ट) निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्वसत्यापित होने चाहिये।

(त) निविदा के साथ राशि रू. 15,000/– बतौर EMD जमा करना होगा। EMD की राशि अकाउण्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ़, रायपुर (Director, D.C.O.Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो।

वित्तीय बोली (Financial Bid)

1. संलग्न किये जाने वाले कर्मियों के संबंध में प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का दर प्रस्तुत करना होगा, जो कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिये।

2. दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखे कि संलग्न किये जाने वाले कर्मियों को तत्समय प्रभावी नियमानुसार PF, ESIC इत्यादि की कटौती करना अनिवार्य होगा। इसके साथ–साथ नियमानुसार आयकर संबंधी TDS की कटौती भी की जावेगी ।

नियम व शर्तेः–

1. सफल निविदाकर्त्ता (एजेंसी) को अनुबंध करते समय एक वर्ष के लिये अनुबंधित राशि का 5% बतौर निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security), जो अगले एक हजार रूपये में Rounded Off होगा एवं उक्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी FDR जो निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ, रायपुर' (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो इस कार्यालय में 14 माह के लिये जमा करना होगा।
2. **इस निदेशालय में संलग्न किये जाने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन का भुगतान राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिये । यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन दरो में वृद्धि की जाती है तो यह कार्यालय अनुबंध अवधि के बीच में दरो में संशोधन नहीं करेंगे और बढ़ी हुई दरो पर भुगतान संबंधित फर्म को करना होगा। अतः दरे प्रस्तुत करने वाली फर्मो को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बातो को ध्यान में रखते हुये वित्तीय बोली में दरे प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा प्रदाय दर अनुबंध की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावशील होंगे।**
3. कर्मचारियों के व्यवहार/आचरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह यह ध्यान रखे कि संलग्न किया गया कोई भी कर्मचारी ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवहार/आचरण न करे जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल हो।
4. कर्मचारियों को किसी भी तरह के शासकीय वेतन भत्ते आदि मान्य नहीं होंगै किसी भी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे के हकदार नहीं होंगे तथा ड्यूटी अवधि में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार के दावे मान्य नहीं करेगा।
5. इस कार्यालय में उक्तानुसार संलग्न किये जा रहे कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो सहित) कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
6. कार्यालय परिसर में निषिद्ध पदार्थो यथा– शराब, बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि का सेवन संलग्न कर्मियों द्वारा नहीं किया जावेगा।
7. सुरक्षा गार्ड/भृत्य /सफाईकर्मी को उल्लेखित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्य की प्राथमिकता को देखते हुये केयर– टेकर द्वारा अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित होने पर केयर–टेकर को उपस्थिति देनी होगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति की पूर्व सूचना केयर–टेकर को देते हुये उसके एवज में अन्य कर्मचारी को कार्य पर लगाया जाना होगा। कर्मचारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में अनुपातिक रूप से भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती किया जावेगा।
8. एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि एवं ESIC की राशि की कटौती कर संबंधित कार्यालय में नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा एवं जमा की गई राशि के संबंध में इस कार्यालय को नियमित अवगत कराना होगा। साथ ही इस दौरान PF, ESIC में नियमानुसार वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
9. सुरक्षा गार्ड/भृत्य/ सफाई कर्मी ड्रेस में रहेंगे, जिसकी आपूर्ति संबंधित फर्म द्वारा किया जाना होगा।
10. सुरक्षा गार्ड/भृत्य/सफाई कर्मी के कार्य नियंत्रण अधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी स्तर पर किसी भी समय एजेंसी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं निरस्त किया जा सकेगा।
11. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

कृ.पृ.उ.

निविदा जमा करने/खोलने की तिथि

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में दिनांक 09/01/2015 को दोपहर 3.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 09/01/2015 को सांय 4.00 बजे कार्यालय के कय समिति के समक्ष तकनीकी बोली खोला जावेगा तथा दिनांक 12/01/2015 को सांय 4.00 बजे वित्तीय बोली खोला जावेगा।

निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक